बिहार विधान-सभा वाद्वृत्त

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

बृहस्पतिवार, तिथि 29 मार्च, 1984 ई० ।

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर : बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 4 (ii) के परन्तुक के अन्तर्गत सदन की मेज पर रखे गए प्रश्नोत्तर ।	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर संख्या : 2, 67, 69, एवं 70-क	1—12
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या : 1228, 1229, 1232, 1234, 1245, 1253, 1254 एवं 1257 ।	13—26
परिशिष्ट-1 (प्रश्नों के लिखित उत्तर) :	27—67
परिशिष्ट-2 (प्रश्नों के लिखित उत्तर) :	65—154
दैनिक निबंध :	155-156

टिप्पणी : किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है ।

मार्ग का विस्तार

1381. श्री फालगुनी प्रसाद यादव—क्या मंत्री आवास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

(1) क्या यह बात सही है कि लोहियानगर स्थित मुख्य मार्ग संख्या-4 का विस्तार आवास बोर्ड, पटना प्रमण्डल के कार्यालय के समीप पम्प हाउस के निर्माण के कारण रुका हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि लोहियानगर एवं बहादुरपुर आवासीय कोलनी को जोड़नेवाली एक मात्र सड़क है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मुख्य मार्ग संख्या-4 का विस्तार बहादुरपुर तक करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक ?

श्री टी० मुचि राय मुंडा—(1) आवास बोर्ड ने सूचना दी है कि लोहिया नगर स्थित मुख्य सड़क संख्या 4 जिसे सादिकपुर योगी, बहादुरपुर, कुम्हरार होते हुए गंगापुल के उपगम पथ से जोड़ने का प्रस्ताव है, वह पथ पटना के मास्टर प्लान में मुख्य सड़क के रुप में प्रस्तावित है। लोहियानगर मुख्य मार्ग संख्या 4 के पूर्वी सिरे पर बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना प्रमण्डल-1 के कार्यालय के समीप गन्दा पानी की निकासी के लिए पम्प हाउस निर्मित है। आवास बोर्ड द्वारा मार्ग संख्या 4 के विस्तार का योजना प्राक्कलन तैयार नहीं की गई है।

(2) आवास बोर्ड ने सूचना दी है कि मुख्य मार्ग संख्या 4 के अलावा कंकड़बाग बाईपास तथा पटना न्यू बाईपास द्वारा लोहियानगर (कंकड़बाग) एवं बहादुरपुर को जोड़ने का प्रस्ताव है।

(3) आवास बोर्ड ने सूचना दी है कि इसकी योजना तैयार की जा रही है तथा निधि उपलब्ध होने पर इसका कार्यान्वयन किया जा सकेगा।

———

आदेश उल्लंघन का औचित्य।

1333. श्री अभया चरण लाल—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि जनता के आवागमन के मार्ग पीने के पानी के नजदीक सार्वजनिक स्थान तथा सरकारी संस्था के पास पर्यावरण पर कुप्रभाव डालने वाले कल कारखाने, शराब भट्ठी आदि खोलने पर 1982-83 में रोक लगा दी है;

(2) क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत जी० टी० रोड के दोनों ओर हार्ड कोक भट्ठा तथा छोटी बड़ी नदियो के किनारे कापासाडा स्थान पर खड-1 में वर्णित आदेश का उल्लघन कर पर्यावरण किया जाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो खण्ड (1) में वर्णित आदेश का उल्लंघन करने का औचित्य क्या है ?

श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही—(1) 1982-83 में हार्ड कोक भट्ठा के निबन्धन पर प्रतिबन्ध था। किन्तु शराब भट्ठो एवं चूना भट्ठा पर कोई प्रतिबन्ध 1982-83 वर्ष में नहीं था।

(2) उत्तर नकारात्मक है।

(3) खण्ड (1) एवं (2) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है।

सड़क मरम्मती के लिए निधि का आवंटन।

1334. श्री विश्वनाथ गुरमैता—क्या मंत्री, नागरिक विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत निर्मली अधिसूचित क्षेत्र समिति की सड़क कोशी नदी के बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी मरम्मती निधि के अभाव में नहीं हुई है;

(2) यदि खड (1) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार निर्मली अधिसूचित क्षेत्र की सड़कों की मरम्मती वरसा से पूर्व कराने के लिए निधि का आवंटन करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) निर्मली अधिसूचित क्षेत्र में सड़क निर्माण के हेतु अगले वित्तीय वर्ष में राशि के आवंटन पर विचार किया जाएगा।

पदाधिकारी पर कार्रवाई।

1336. श्री रामाश्रय सिंह—क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी चम्पारण अन्तर्गत सुगौली प्रखंड की गाड़ी सं०-बी० आर० ई० 1136, जून, 1983 में बनने के लिए भारत वर्क शोप, बलुआ चौक, मोतिहारी को दी गई थी;